teachers of the Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas etc. working in; Union Territories are less as compared to their counterparts in many States in general and Maharashtra, Rajasthan, Tripura and Manipur in particular; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) The pay scales and service conditions of teachers in the Union Territories, Kendriya Vidyalayas, and Navodaya Vidyalayas etc. are generally comparable, if not better, to those of their counterparts in the State Government.

बाल कल्याण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन

342. श्री महेश्वर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई महीनों से केन्द्र सरकार से समय पर धन प्राप्त न होने के कारण सामान्यतः विभिन्न राज्यों में और विशेषतः हिमाचल प्रदेश में स्थित बाल कल्याण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो समय पर धन उपलब्ध कराने में क्या कठिनाइयां हैं और कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी कि इन परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर मिलता रहे ; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्वीकृत केन्द्रीय वित्त-पोषित बाल कल्याण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। कार्यान्वयन ऐजेंसियों को अर्थात् राज्य सरकार अथवा गैर सरकारी संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से अनुदान राशि किस्तों में दी जाती है। इन योजनाओं में, कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा वेतन न दिए जाने के बारे में कोई सामान्य शिकायत नहीं हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश में अनुदान राशि के कथित दुरुपयोग की हिमाचल राज्य सरकार द्वारा सतर्कता जांच करवाए जाने के कारण अपंग व्यक्तियों के लिए संगठनात्मक सहायता योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् को भारत सरकार की ओर से वर्ष 1991-92 के लिए दी जाने वाली अनुदान सहायता रोक दी गई थी।

(ख) और (ग) कल्याण मन्त्रालय ने अब मामले की पुनरीक्षा की है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा और आगे जांच किए जाने तक हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण राज्य परिषद्, शिमला को वर्ष 1991-92 के लिए 9,47,977/-रुपए की राशि मंजूर कर दी है।

(घ) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न बाल कल्याण योजनाओं के लिए वर्ष 1992-93 हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि संलग्न विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों को योजनाबद्ध तरीके से तथा धन के उपयोग के अनुसार धनराशि दी जाती है तथा इन प्रावधानों का राज्य-वार कोई अग्रिम नियतन नहीं किया गया है।

विवरण

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही बाल कल्याण योजनाओं के ब्यौरे और चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का प्रकार (योजना/गैर-योजना सी एस/केन्द्रीय योजना)	संबद्ध मंत्रालय/ विभाग का नाम	कार्यान्वयनकारी एजेंसी का नाम	1992-93 के लिए बजट प्रावधान
1	2	3	4	5	6
					(करोड़ रुपए)
1.	समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना	केन्द्रीय प्रायोजित	मा०सं० वि० मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन/ गैर-सरकारी संगठन	271.74
2.	शिशु-गृह	योजना और गैर-योजना	—तदेव—	गैर सरकारी संगठन	23.5
3.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (बी०एन०पी०)	योजना और गैर-योजना	—तदेव—	राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन	8.67

1	2	3	4	5	6
4.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए स्वयं सेवी एजेंसियों को सहायता	गैर योजना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	गैर सरकारी संगठन	3.02
5.	सर्वव्यापी रोगप्रतिरोधन कार्यक्रम (यू आई पी) मुख पुर्नजलीकरण उपचार (ओरल रिहाईड्रेशन थेरेपी)	योजना 100% केन्द्रीय पेयजल	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार कल्याण विभाग	राज्य सरकारों/ के०शा० प्रदेश के प्रशा० के माध्यम से	95 (लाख रुपए)
6.	राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम (एन सी एल पी)	गैर-योजना	श्रम मंत्रालय	गैर-सरकारी संगठनों की मदद से प्रोजेक्ट सोसाईटीज	215
7.	सामान्य सहायता अनुदान (जी आई पी) योजना	गैर-योजना	--तदेव--	गैर सरकारी संगठन	20 (करोड़ रु०)
8.	अपंग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता देने की योजना	योजना और गैर योजना	कल्याण मंत्रालय	गैर सरकारी संगठन	5.70
9.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाए जा रहे अन्य बाल कल्याण कार्यक्रम	योजना और गैर योजना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग	गैर सरकारी संगठन	3.85